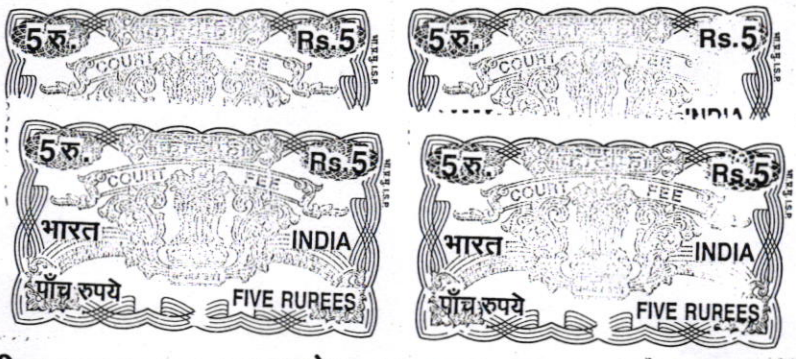

मान्नीय न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक – /2018 निगरानी

निगरानी – 3461/2018/देवास/भू.रा.

1. माखनसिंह पिता देवीसिंह उम्र 38 साल
2. पोपसिंह पिता देवीसिंह उम्र 32 साल
3. लीलाबाइ बेवा देवीसिंह उम्र 60 साल
4. चंदरबाई पति पोपसिंह उम्र 30 साल

सभी जाति अहीर, निवासीगण ग्राम डकाच्या तहसील सोनकच्छ जिला देवास

—— **आवेदकगण**

विरूद्ध

1. उमरावसिंह पिता नारायणसिंह उम्र 63 वर्ष
2. सूरजसिंह पिता नारायणसिंह उम्र 60 वर्ष
3. विमलाबाई पति चंदरसिंह उम्र 50 वर्ष
4. रमेशचन्द पिता नंदराम उम्र 60 वर्ष
5. दिलीपसिंह पिता नंदराम उम्र 45 वर्ष
6. केदार पिता नंदराम उम्र 42 वर्ष

सभी जाति अहीर, निवासीगण ग्राम डकाच्या तहसील सोनकच्छ जिला देवास

—— **अनावेदकगण**

श्री ...... द्वारा आज दि. 6/6/18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 12/6/18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से उपरोक्त निगरानी अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग के प्रकरण क्रमांक 1051/2017–18/अपील में पारित आदेश दिनांक 04–06–2018 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है।

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बिना किसी उचित एवं

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3461/2018/देवास/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19/06/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। उन्हें को ग्राह्यता एवं स्थगन के बिन्दु पर सुना गया। 2/ प्रकरण का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में विवाद रास्ते के संबंध में है। अपर आयुक्त ने आवेदक की निगरानी को ग्राह्य करते हुए स्थगन आवेदन निरस्त किया है। ऐसी स्थिति में निगरानी को ग्राह्य किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। परंतु जहां तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन ना दिए जाने का प्रश्न है, प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः न्यायहित में यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण का निराकरण किए जाने अथवा तीन माह जो भी पहले हो, तक उभयपक्षों द्वारा यथास्थिति बनाए रखी जाए। उक्त निर्देश के साथ यह प्रकरण समाप्त किया जाता है। **प्रशासकीय सदस्य**	